

करवा चौथ की खरीददारी के लिए उमड़ी भीड़



करवा चौथ के व्रत को लेकर राजधानी के न्यू मार्केट में रौनक बढ़ गई है। महिलाएं करवा, पूजा सामग्री, छलनी, चूड़ियाँ और श्रृंगार के सामान की खरीदारी कर रही हैं। बाजार में सजी दुकानों पर ग्राहकों की चहल-पहल देखने को मिल रही है।

चार इमली में आईएएस अधिकारी के घर से चंदन का पेड़ चोरी

डीजीपी के बंगले के पास वारदात
घर में गार्ड तैनात होने के बावजूद चोर काटकर ले गए पेड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के वीआईपी क्षेत्र चार इमली में आईएएस अधिकारी विवेक पोरवाल के घर से चंदन का पेड़ चोरी होने का मामला सामने आया है। यह आवास

मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के बंगले के पास स्थित है। सोमवार रात हुई इस घटना के समय घर में सुरक्षा गार्ड भी तैनात था, लेकिन उसे वारदात की जानकारी नहीं मिली। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में करीब तीन लोगों के घर में घुसकर चंदन का पेड़ काटकर ले जाने की बात सामने आई है। घटना हबीबगंज

थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हबीबगंज पुलिस और अपराध शाखा की टीमें आरोपितों की पहचान और तलाश में जुटी हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि वारदात के दौरान सुरक्षा गार्ड सो गया था। हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित

किस रास्ते से परिसर में दाखिल हुए और पेड़ काटकर कैसे ले गए। विवेक पोरवाल वर्तमान में खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव हैं। चार इमली क्षेत्र में कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के आवास हैं। इससे पहले भी राजधानी के वीआईपी क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। घटना ने इन इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं।

वीआईपी रोड पर खंभे से टकराई छात्रों से भरी बस, 11 घायल

डिवाइडर से टकराने के बाद खंभे से जा भिड़ी बस, घायलों का हमीदिया अस्पताल में उपचार जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे वीआईपी रोड पर विद्यार्थियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। राजा भोज की प्रतिमा और करबला के बीच मोड़ पर बस अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर खंभे से जा भिड़ी। खंभे का सहारा मिलने से बस पलटने से बच गई। हादसे में विद्यार्थियों और बस के तीन कर्मचारियों सहित करीब 10 से 11 लोग घायल हो गए। घायल विद्यार्थी सुमित पवार,



खुशी गौड़, बंसत कुमार, रवि परमार आदि शामिल हैं। सुमित पवार ने बताया कि बस करीब आधा घंटा देरी से चली थी।

गया, जिससे दुर्घटना हुई। सुमित ने बताया कि हादसे से करीब दो मिनट पहले उन्होंने एक परिचित को संदेश भेजकर चालक की लापरवाही की जानकारी दी थी। वह राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। घायलों में एक विद्यार्थी के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि एक छात्रा की आंख के ऊपर चोट आई है। अन्य घायलों को

भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल ले जाया गया। विवि के कुलगुरु आलोक शर्मा ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि बस चालक की लापरवाही की जांच की जाएगी। परिवहन विभाग से चर्चा कर ऐसी घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। कोहेफिजा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह ठाकुर के अनुसार, बस विद्यार्थियों को लेकर जा रही थी। मोड़ पर तेज गति के कारण चालक बस को नियंत्रित नहीं कर पाया। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।

डेढ़ टन वजनी टंकी की चपेट में आकर मजदूर की दर्दनाक मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: टीटी नगर थाना इलाके में जवाहर चौक क्षेत्र में बन रहे चिरायु अस्पताल में डेढ़ टन वजनी लोहे की टंकी को चैन कुप्पी की मदद से उठाने के दौरान हादसा हो गया। टंकी की चपेट में आकर एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना सोमवार रात को हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीटी नगर थाने के एएसआई दिग्विजय ने बताया कि जवाहर चौक 12 दफ्तर के पास रहने वाले 55 वर्षीय घनश्याम रैकवार मजदूर करते थे। वर्तमान में वह साथी मजदूरों के साथ निर्माणाधीन चिरायु अस्पताल में काम कर रहे थे। सोमवार रात लगभग साढ़े नौ बजे एक डेढ़ टन वजन की लोहे की टंकी को रखने का काम किया जा रहा था। टंकी को चैन कुप्पी की मदद से ऊपर उठाया जा रहा था। घनश्याम के साथ अन्य मजदूर भी वहां मौजूद थे। इस दौरान अचानक टंकी गिर पड़ी। उसकी चपेट में आकर घनश्याम की मौत हो गई।

10-10 रुपये के दो नोट के लालच में गंवा दिए तीन लाख

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: हनुमानगंज थाना क्षेत्र के हमीदिया रोड पर एक फर्नीचर कारोबारी की कार से तीन लाख रुपये से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हनुमानगंज थाने के एसआई राम सजीवन वर्मा के अनुसार, नर्मदापुरम रोड निवासी कमल मित्तल मंगलवार को दोपहर में लगभग एक बजे अपनी कार से हमीदिया रोड पर सामान खरीदने आए थे। तीन लाख रूपयों से भरा बैग उन्होंने कार की सीट पर रखा था। वह चालक को कार में ही छोड़कर दुकान से सामान लेने चले गए थे। इसी दौरान दो लड़के ड्राइवर के पास आए और बोले शायद आपके रुपये सड़क पर गिर गए हैं। उसे दस-दस रुपये के

सेवानिवृत्त आईएएस की हत्या का संदिग्ध 26 दिन से फरार

नप्र, भोपाल: राजधानी में सेवानिवृत्त आईएएस राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में संदिग्ध देखभालकर्ता वरुण कुमार के पुराने विवादों की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, वह पिता की दूसरी शादी से नाराज था और उन पर हमला कर चुका था। उस पर पंजाब में रहने वाली अपनी नाबालिग प्रेमिका से मारपीट करने का मामला भी दर्ज होने की जानकारी मिली है। हालांकि, इन घटनाओं का हत्या से सीधा संबंध सामने नहीं आया है। 30 सितंबर को हुई राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद से वरुण फरार है। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल नए सिरे से साक्ष्य जुटा रहा है। जांच के अनुसार, वरुण ग्वालियर, आगरा, दिल्ली और भोपाल में देखभालकर्ता के रूप में काम कर चुका है। वह करीब छह साल से परिवार से अलग रह रहा था।

घटना बछड़ों का शिकार करने के बाद घायल मिला था शावक...

गोली लगने से 19 माह के चीते की मौत, पांच छर्छ निकले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कूनों राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में पहुंचे 19 माह के मादा चीते की गोली लगने से मौत हो गई। जबलपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय की चिकित्सक डॉ. शोभा जावरे ने ऑपरेशन के दौरान उसके शरीर से पांच छर्छ निकलने की पुष्टि की है। घटना की जांच के लिए राज्य शासन ने वन और पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए विशेष कार्य बल गठित किया है। जानकारी के अनुसार, रविवार



सुबह करीब पांच बजे मुरैना के बमोरी गांव में दो चीते एक मकान में घुस गए थे। वहां आंगन

में बंधे दो बछड़ों का शिकार करने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें देखा और वन विभाग की टीमें उनकी गतिविधियों पर नजर

जांच के लिए विशेष कार्य बल गठित रखती हैं। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने और कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि शावक पर जानबूझकर हमला किया गया हो सकता है। गोली किसने चलाई और घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच जारी है। वन विभाग की ओर से मामले में विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

बच्चों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर पति-पत्नी ने एकसाथ फांसी लगाई

ईटखेड़ी के रायपुर गांव में घटना से सनसनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर में एक दंपति ने घर के रसोईघर में फांसी लगा ली। इसके पहले उन्होंने बच्चों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। मौके से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने से फिलहाल खुदकुशी की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना से गांव में सनसनी का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईटखेड़ी थाने के एसआई नवीन गौर ने बताया कि सोमवार सुबह पांच बजे रायपुर निवासी 36 वर्षीय सुरेंद्र सिलावट और उसकी पत्नी 34 वर्षीय मोना बाई के शव रसोईघर में फांसी पर लटक मिले। दोनों ने एक ही रस्सी से दो फंदे बनाए थे। पास के कमरे में उनके बच्चे 11 वर्ष की लड़की और नौ वर्ष का लड़का सो रहे थे। उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था।

पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र ने वर्ष 2012 में मोनाबाई से प्रेम विवाह किया था। वह ठेकेदारी का काम करता था। पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। रात में हुआ था झगड़ा बच्चों ने पुलिस को बताया कि मम्मी-पापा के बीच रविवार रात को जमकर झगड़ा हुआ था।

उसके बाद उन लोगों ने हमारे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। घटना स्थल की तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। रसोईघर में खाना लगा हुआ था, लेकिन दोनों ने खाना खाया नहीं था। इस मामले में परिवार के लोगों के बयान दर्ज करने के बाद ही खुदकुशी के कारणों का कुछ पता चलने की संभावना है।

पिकअप की टक्कर से दो युवकों की मौत एक की हालत गंभीर

नप्र, भोपाल: गुनगा थाना इलाके के ग्राम लालघाटी रतुआ में सोमवार रात सब्जी से भरे पिकअप वाहन ने दो बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। दुर्घटना के बाद पिकअप सड़क किनारे खेत में उतर गई। चालक मौके से फरार हो गया। वाहन जब्त कर पुलिस चालक की तलाश कर रही है। गुनगा थाना पुलिस के मुताबिक ग्राम हिनौती सड़क निवासी 22 वर्षीय अमन नागर, 20 वर्षीय शुभम अहिरवार और 25 वर्षीय दीपक आपस में दोस्त थे और निजी काम करते थे। रविवार को तीनों दोस्त दो बाइक से किसी काम से भोपाल आए थे। रात में तीनों गांव वापस लौट रहे थे। एक बाइक अमन चला रहा था, जबकि दूसरी बाइक पर शुभम और दीपक सवार थे। रात लगभग 12:15 बजे वे लोग ग्राम रतुआ लालघाटी के सामने पहुंचे थे, तभी सामने से आ रही पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में उतर गई। राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल तीनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहां चेक करने के बाद चिकित्सक ने अमन और शुभम को मृत घोषित कर दिया। दीपक की हालत गंभीर बनी हुई है। पिकअप सिरोंज से सब्जी भरकर भोपाल कृषि मंडी आ रही थी।

प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) परिसर से गैर संचालित निजी बसों को हटाया जाएगा। बस संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नियमित रूप से चलने वाली बसों के यात्रियों को बैठाने और उतारने का समय भी निर्धारित किया जाएगा। रविवार शाम परिसर में आठ बसों में आग लगने की घटना के बाद मंगलवार को नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने निरीक्षण कर ये निर्देश दिए। आग वर्मा ट्रेवल्स की एक बस में लगी थी, जो आसपास खड़ी अन्य बसों तक फैल गई। इसमें नागपुर-अहमदाबाद और सूरत मार्ग की बसें शामिल थीं। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने परिसर में अग्निशमन जल व्यवस्था स्थापित करने और बिजली के तारों सहित अन्य उपकरणों की जांच कराने के निर्देश दिए।



उन्होंने परिसर की नियमित सफाई और धुलाई कराने को भी कहा। परिसर में जमा साइकिलों और विद्युत साइकिलों के संचालन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत निविदा जारी करने के निर्देश भी दिए। आयुक्त ने वर्मा ट्रेवल्स के प्रबंधक से चर्चा की और अन्य यात्रा कंपनियों के संचालकों के साथ बैठक करने को कहा। निरीक्षण में बताया गया कि चार बसें 24 जुलाई 2026 से बस डिपो में खड़ी हैं। आयुक्त ने इन बसों का जुलाई से अब तक का किराया वसूलने और उन्हें हटाने के निर्देश दिए।

भारत सरकार
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
तत्परित कोर्पोरेट समायन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),
आईआईसी.ए. बिल्डिंग, 7 वीं मंजिल, प्लॉट P-6,7,8, से.-5,
आईएमटी, मानेसर, गुडगांव,
हरियाणा 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated
Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor, Plot P-6,7,8,
Sector-5, IMT Manesar, Gurgaon,
Haryana-122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्राारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

(कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में)

सार्वजनिक नोटिस : ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2026-27/1653

दिनांक :-14/10/2026

संदर्भ :

1. कम्पनी अधीनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (38) कम्पनियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य से हटाने के मामले में :

S No.	Work Item	CIN	Company Hindi Name
1	AC5528095	U70100MP2010PTC024799	कामदास वैवंस प्राइवेट लिमिटेड
2	AC5976856	U51909MP2021PTC054882	बैज केमिकल्स एंड ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AC5795737	U15490MP2022PTC059355	सोमीत कस्टर्ड एप्पल फ्लूट प्लूट अलीराजपुर प्राइवेट लिमिटेड
4	AC5525253	U74999MP2022PTC063393	माउंटकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	AC5991090	U62013MP2025PTC076778	ओम्पसियन टेक प्राइवेट लिमिटेड
6	AC6004360	U01100MP2020PTC053694	कृषक जागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
7	AC6013373	U62013MP2023PTC068083	जुलिव्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
8	AC5988305	U47721MP2024PTC069738	धिवस्वान आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड
9	AC5961079	U93090MP2019PTC049944	एरबी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
10	AC5951183	U15400MP2021PTC055977	सेलिब्रिटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AC5947008	U52100MP2014PTC032254	इनसेशन इंडिया ट्रेडवेल प्राइवेट लिमिटेड
12	AC5967835	U85300MP2020PTC053606	वेदाथं हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AC5937709	U17124MP1999PTC013554	रलक टेक्स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AC5939633	U24100MP2019PTC048434	कवरडेस्क ई-कॉमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	AC5738146	U52100MP2022PTC061010	हॉटिफैशनस प्राइवेट लिमिटेड
16	AC5692939	U70102MP2022PTC061192	सुंदरसुमन बिल्डकोंन प्राइवेट लिमिटेड
17	AC5711106	U47890MP2023PTC068676	फोर्टी फ्रीट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
18	AC5639935	U25206MP1986PTC003404	एस.ए. प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
19	AC5667051	U01110MP2014PTC033250	लाइव ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AC6005061	U31909MP2021PTC058797	बटवाल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
21	AC6010885	U46610MP2023PTC065337	कौशल्या ग्रीन एग्यूल प्राइवेट लिमिटेड
22	AC6003226	U46909MP2023PTC064681	कैपल माइट वैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AC6010121	U01611MP2023PTC065727	केएल इंडिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
24	AC5996614	U45203MP2005PTC017530	राजलक्ष्मी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AC5988834	U15129MP2023PTC068451	ऐन्सज्ञान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
26	AC5947497	U40100MP2013PTC031602	विंडफॉल टेक्नॉजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AC5805244	U93090MP2019PTC048300	ब्रह्मार्ज वरुकोर्पोस प्राइवेट लिमिटेड
28	AC5785849	U72200MP2008PTC021082	ट्राइडन टेक्नोलॉजि प्राइवेट लिमिटेड
29	AC5688818	U74999MP2018PTC044938	ब्रेनन इंडिया एनिमल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
30	AC5695717	U15400MP2022PTC059452	सरस मानक ग्लोबल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AC6014622	U74103MP2025OPC078757	एड्ड वीएफएक्स (ओपेसी) प्राइवेट लिमिटेड
32	AC5940292	U51909MP2021PTC058693	मेडिकॉच हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
33	AC5558179	U23209MP2018PTC046550	लाइगर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड
34	AC5912303	U74200MP2010PTC023842	सनऑर्टिमाइजेशन ऑफ लाइट एंड रिस्कुअल प्राइवेट लिमिटेड
35	AC5922103	U85500MP2023PTC066073	121 टूर्युशन प्राइवेट लिमिटेड
36	AC5928868	U63040MP1997PTC012259	नेटावर्क कर्मा ठोर्स ट्रेवल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
37	AC5738070	U62011MP2023PTC067370	गुप्ता कोडेटेक्नोलॉजिस्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
38	AC5693224	U10309MP2026PTC082410	बाबजी फूड प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

रौनक अग्रवाल
उप-पंजीयक

CBC07123/11/0712/2627

तत्परित कोर्पोरेट समायन प्रसंस्करण केंद्र